संख्या-22/2015/765/सत्तर-2-2015-18(106)/2012

प्रेषक,

प्रमोद कुमार उपाध्याय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उच्च शिक्षा उ0प्र0,
इलाहाबाद।

उच्च शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 22 दिसम्बर, 2015

विषय:- वेतन समिति (2008) के पत्र दिनांक 30 सितम्बर, 2011 के माध्यम से मानदेय/नियत वेतन/संविदा कर्मचारियों के संबंध में की गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-डिग्री अर्थ-1/2878/2015-16, दिनांक 26-08-2015 का संदर्भ ग्रहण करें, जो वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-562/दस-54(एम)/2008 टी सी, दिनांक 30-08-2013 के क्रम में मानदेय/नियत वेतन/संविदा कर्मचारियों को आकस्मिक अवकाश एवं प्रसूति अवकाश अनुमन्य कराये जाने के संबंध में है।

2- अत: इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-562/दस-54(एम)/2008 टी सी, दिनांक 30-08-2013 के बिन्दु-1(5) में दी गयी व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में सम्यक् विचारोपरान्त प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में शासनादेश संख्या-467/सत्तर-2-98-3(19)/93, टीसी, दिनांक 07-04-1998 के प्राविधानों के अधीन नियुक्त/कार्यरत मानदेय शिक्षकों को वर्ष में 14 दिन का आकस्मिक अवकाश तथा महिला कर्मचारियों को प्रसूति अवकाश राजकीय महिला शिक्षकों की भाँति अनुमन्य किये जाने का निर्णय लिया गया है। कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें/

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-11-1362/दस-2015 दिनांक 17-12-2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(प्रमोद कुमार उपाध्याय)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-22/2015/765/सत्तर-2-2015-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी,) उ0प्र0, इलाहाबाद।

(2) कुलसचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश ।

(3) वित्त नियंत्रक, (उ0शि0)/निदेशालय, इलाहाबाद ।

(4) मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, सिविल लाईन्स, इलाहाबाद।

(5) समस्त क्षेत्रीय, उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश ।

(6) समस्त प्राचार्य, अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय, उ0प्र0।

(7) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-11

(8) वित्त (सामान्य) अनुभाग-1/3

(9) उच्च शिक्षा विभाग के समस्त अधिकारी/अनुभाग ।

(10) विभागीय आदेश पुस्तिका ।

आज्ञा से,

(डा0 ध्रुव पाल)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in